परिवहन निगम मुख्यालय
लखनऊ।

पत्रांक:1403 रोपी / 2020–07 रोपी / जनरल / 2014–20 दिनांक : 10 नवम्बर, 2020

समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक,
समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक(डिपो)
उत्तर प्रदेश परिवहन निगम।

विषयः– निगम की सभी सेवाओं कस्बों–शहरों के भीतर से होकर संचालित किये जाने तथा प्रत्येक स्टापेज से यात्रियों को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक निगम मुख्यालय के परिपत्र संख्या 1603रोपी / 2020–07रोपी / जनरल / 14–20 दिनांक 19–10–2020 का सन्दर्भ ग्रहण करें। यात्रियों की सुविधा के लिये यह नितान्त आवश्यक है कि मार्ग पर संचालित निगम बसें, कस्बों–शहरों के भीतर से होकर संचालित की जाय तथा प्रत्येक स्टापेज पर उपलब्ध यात्रियों को परिवहन सुविधा उपलब्ध करायी जाय।

उल्लेखनीय है कि जनप्रतिनिधियों / स्थानीय विधायकों / गणमान्य व्यक्तियों तथा यात्रियों द्वारा प्रायः यह संज्ञान में लाया जाता है कि विभिन्न सेवायें कस्बों एवं शहरों के भीतर से न जाकर, बाई–पास से संचालित हो रही हैं तथा यात्रियों को बाई–पास पर उतार दिया जा रहा है, जिससे यात्रियों को कठिनाई तो होती ही है, वहीं निगम की छवि धूमिल होने के साथ–साथ कस्बों–शहरों के भीतर उपलब्ध यात्रियों को परिवहन सुविधा नहीं मिल पा रही है।

इन परिस्थितियों में आवश्यक है कि मार्ग पर संचालित समस्त निगम बसों को कस्बों–शहरों के भीतर स्थित स्टापेज / बस स्टेशन से होकर ही संचालित करना सुनिश्चित कराया जाय, ताकि यात्रियों को प्रत्येक स्टापेज / बस स्टेशन पर आवागमन की सुविधा उपलब्ध होने के साथ–साथ निगम की लाभदायकता भी सुनिश्चित की जा सके।

समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धकों एवं सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धकों को निर्देशित किया जाता है कि अपने क्षेत्र में पड़ने वाले स्टापेज व बाई–पास की स्थिति मुख्य प्रधान प्रबन्धक(संचालन) को दो दिवस के अन्दर उपलब्ध कराते हुये क्षेत्रीय स्तर पर प्रत्येक बस का स्टेशन / स्टापेज पर आवागमन सुनिश्चित कराया जाय।

मुख्यालय एवं क्षेत्रीय प्रवर्तन दलों द्वारा चेकिंग के समय यह सुनिश्चित कराया जाय कि निगम की सभी सेवायें, कस्बों–शहरों के भीतर से होकर संचालित हों तथा प्रत्येक स्टापेज पर उपलब्ध यात्रियों को परिवहन सुविधा सुलभ हो। उक्त की दैनिक समीक्षा–अनुश्रवण, मुख्यालय स्तर पर प्रधान प्रबन्धक(प्रवर्तन) एवं क्षेत्र में क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा करते हुये यह सुनिश्चित किया जाय कि निगम की सभी सेवायें कस्बों–शहरों के भीतर से होकर संचालित हो रही हैं तथा प्रत्येक स्टापेज पर उपलब्ध यात्रियों को परिवहन सुविधा उपलब्ध हो रही है।

उपरोक्त का अनुपालन कड़ाई के साथ कराना सुनिश्चित करें।

(धीरज साहू)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, अपर प्रबन्ध निदेशक, निगम मुख्यालय, लखनऊ।
2. मुख्य प्रधान प्रबन्धक (प्रशासन / प्राविधिक), निगम मुख्यालय, लखनऊ।
3. समस्त नोडल अधिकारी, निगम मुख्यालय, लखनऊ।

(पी.आर. बेलवारियर)
मुख्य प्रधान प्रबन्धक (संचालन)

Downloaded From www.upsrtc.com